प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.01.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित/फरार चल रहा अभियुक्त शादाब उर्फ मुस्तकीम गिरफ्तार

दिनांक 03.01.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित/फरार चल रहा अभियुक्त –शादाब उर्फ मुस्तकीम पुत्र कल्लू निवासी टंकी वाली रोड हड्डी फैक्ट्री के पास अशोक विहार थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में चोरी , लूट , टप्पेबाजी जैसे अपराध कारित कर आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करते है।

नाम पता अभियुक्त

1. शादाब उर्फ मुस्तकीम पुत्र कल्लू निवासी टंकी वाली रोड हड्डी फैक्ट्री के पास अशोक विहार थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1-अभि0 शादाब पर थाना कोतवाली नगर पर चोरी/ पुलिस मुठभेड़/ गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा जान से मारने का प्रयत्न करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 02.01.2026 की शाम वादी श्री रोदाश पुत्र रामवीर सिंह निवासी नरेश विहार गली न0-1 खोड़ा कालोनी गाजियाबाद के पुत्र उत्तम उम्र करीब 19 वर्ष को 1. विवेक पुत्र सुरेश ठाकुर 2. उत्तम पुत्र अज्ञात निवासी भारत नगर खोड़ा कलोनी गाजियाबाद 3. आदर्श राय पुत्र रामकुमार निवासी नवनीत विहार अपने तीन चार साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर जान से मारने की नियत से वादी के पुत्र उत्तम को गंम्भीर रूप से घायल कर दिया था जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 02.01.2026 को थाना खोडा पर धारा 109(1)/191(2)/115(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें क्रम में आज दिनांक 04.01.2026 को मुखबिर की सूचना

पर जान से मारने का प्रयत्न करने वाले 02 अभियुक्त 1. विवेक पुत्र सुरेश ठाकुर निवासी भारत नगर खोड़ा कालोनी गाजियाबाद, मूल पता ग्राम कोयलकुण्ड थाना कल्याणपुरी जिला समस्तीपुर बिहार, उम्र करीब 20 वर्ष 2. उत्तम पुत्र अमलेश निवासी भारत नगर खोड़ा कालोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष को इतवार पुस्ता थाना खोडा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त एक चाकू नाजायज बरामद किया गया, दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि दिनांक 02/01/2026 को मैं उत्तम पुत्र अमलेश निवासी भारत नगर खोड़ा कालोनी गाजियाबाद इतवार बाजार से चाय पीकर अपने घर भारत नगर जा रहा था तभी नरेश विहार गली नं0 1 के सामने मुझे मेरे दोस्त व उनके साथ एक अन्य लडका उत्तम व उसके एक- दो दोस्त और थे मुझे देखकर बिहारी कहकर अपमानित करने लगा तथा कहने लगा कि बिहारी तुम यहाँ से कब जाओगे जिसके बाद मैने उसे यह कहने से मना किया तो वो मुझे और अधिक चिढाने लगे। जिसके बाद वहाँ से निकल रहा मेरा दोस्त विवेक जो बिहार का रहने वाला है मुझे वहाँ देखकर रुक गया और ये बात सुनकर गुस्सा होने लगा जिसके बाद उसने अपने दोस्तो को बुला लिया जिसके साथ आदर्श व कुछ लडके और आये थे तब तक ये लोग वहाँ से जा चुके थे जब हम उनकी गली में गये अपने अपमान बदला लेने के लिये तब मुझे उत्तम जो गली नं0 1 नरेश विहार में रहता है अपने घर के पास खडा दिखाई दिया जो हमें देखकर बिहारी बिहारी चिढाने लगा गुस्से में आकर मैने व मेरे साथियो ने उसे पिटना शुरु कर दिया जब वहाँ भीड बढने लगी तब विवेक ने उसके पेट में चाकू से वार कर दिया था जिसके बाद वहाँ भीड देखकर गुस्सा हो गयी और हमे मारने लगे मैं और हमारे साथ आये लडके वहाँ से भाग गये मैने भागते समय विवेक के हाथ से चाकू ले लिया और भीड से निकलकर वही पास में एक खाली पडे प्लाट में चाकू फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. विवेक पुत्र सुरेश ठाकुर निवासी भारत नगर खोड़ा कालोनी गाजियाबाद, मूल पता ग्राम कोयलकुण्ड थाना कल्याणपुरी जिला समस्तीपुर बिहार, उम्र करीब 20 वर्ष
2. उत्तम पुत्र अमलेश निवासी भारत नगर खोड़ा कालोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना खोडा पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।